संख्या-09/2020/754/77-6-2020-3(बजट)/16टी.सी.

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग,
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक: 25 मार्च, 2020

विषय- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0वित्तीय निगम के पत्र संख्या-1754/विनि/वियोवि/2019-20 दिनांक 24-01-2020 एवं पत्रांक 1203/विनि/वि.यो.नि./मु0/ 2019-20 दिनांक 14-10-2019 द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के अन्तर्गत वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2019-20 हेतु योजनान्तर्गत पात्र इकाईयों को स्वीकृत ब्याज मुक्त ऋण की धनराशि वितरित किये जाने हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष समेकित रूप से रू. 9207.77 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। पात्र इकाई का विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	इकाई का नाम	धनराशि (रू0लाख में)
1	मे0 सुरूचि फूड प्रा0 लि0, मथुरा (वित्तीय वर्ष 2015-16)	764.33
2	मे0 सूर्या फूड एण्ड एग्रो लि0 नोयडा(वित्तीय वर्ष 2015-16) अवशेष	2123.09
3	मे0 कनोडिया सीमेंन्ट लि0 बुलन्दशहर(वित्तीय वर्ष 2013-14),	220.62
4	मे0 कनोडिया सीमेंन्ट लि0 बुलन्दशहर (वित्तीय वर्ष 2014-15),	232.39
5	मे0मार्डन पैकेंजिंग प्रा0लि0 गोरखपुर(वित्तीय वर्ष 2016-17),	176.27
6	मे0 माॅ महामाया एलाएज प्रा0लि0मिर्जापुर(वित्तीय वर्ष 2014-15),	211.99

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7	मे0 मॉ महामाया एलाएज प्रा0लि0मिर्जापुर(वित्तीय वर्ष 2015-16),	323.96
8	मे0 मॉ महामाया एलाएज प्रा0लि0मिर्जापुर (वित्तीय वर्ष 2016-17),	305.06
9	मे0आरएलजे कॉनकास्ट प्रा0लि0 मिर्जापुर(वित्तीय वर्ष 2015-16)	141.99
10	मे0एस0एन0मिल्क प्रोडक्टस प्रा0लि0,हाथरस(वित्तीय वर्ष 2016-17)	451.70
11	मे0शामली स्टील प्रा0लि0 मुजफ्फरनगर(वित्तीय वर्ष 2015-16)	99.43
12	मे0शामली स्टील प्रा0लि0 मुजफ्फरनगर (वित्तीय वर्ष 2016-17)	132.84
13	मे0भागेश्वरी पेपर्स प्रा0लि0, मुजफ्फरनगर (वित्तीय वर्ष 2016-17)	115.43
14	मे0पी0जी0 इलेक्ट्रोप्लास्ट लि0 गौतमबुद्धनगर (वित्तीय वर्ष 2016-17)	336.52
16	मे0स्टार्लिग एग्रो इण्ड0लि0,कांशीरामनगर (वित्तीय वर्ष 2016-17)	672.15
17	मे0सूर्या फूड एण्ड एग्रो लि0 गौतमबुद्धनगर (वित्तीय वर्ष 2016-17)	2900.00
	योग-	9207.77

2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0120.00करोड़ (रू0 एक सौ बीस करोड़ मात्र) में अवशेष धनराशि रू0 56,33,28,431.00 (रूपये छप्पन करोड़ तैतीस लाख अटठाइस हजार चार सौ इकतिस मात्र) तथा पुनर्वियोग(औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 हेतु अनुदान संख्या-**7** के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-6885- उद्योग तथा खनिजों के लिए कर्ज-01**-** औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-07-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-30-निवेश ऋण) के माध्यम से प्राप्त धनराशि रूपये 35,74.49 लाख (रूपये पैतीस करोड़ चौहत्तर लाख उनचास हजार मात्र) अर्थात **कुल धनराशि रूपये 9207.77 लाख(रूपये बानवे करोड़ सात लाख सतहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

1- उक्त धनराशि को आहरित करके उ0प्र0 वित्तीय निगम को उपलब्ध कराया जाएगा जिसका उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रबंध निदेशक, उ0प्र0वित्तीय निगम द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, कानपुर के माध्यम से शासन के औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 को उपलब्ध कराया जाएगा।

2- उ0प्र0वित्तीय निगम द्वारा ऋण वितरित किए जाने के पूर्व पात्र इकाइयों के संबंध में अपने स्तर से पात्रता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर लेंगे।

3- इस धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर राजकोष से किया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि सीधे आर.टी.जी.एस./ एन.एफ.टी. के माध्यम से पात्र इकाई के खाते में भेजी जायेगी।

5- स्वीकृत धनराशि का लेखा जोखा उ0प्र0वित्तीय निगम द्वारा रखा जाएगा।

6- यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2003(यथा संशोधित) में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो।

7- पात्र इकाइयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0वित्तीय निगम पर होगा। वसूली में शिथिलता बरते जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर अग्रेतर कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी।

8- यदि इन इकाईयों द्वारा ऋण वापसी के सम्बन्ध में डिफाल्ट किया जाता है तो डिफाल्ट की तिथि से आगे दी जाने वाली धनराशि का भुगतान बन्द कर दिया जायेगा।

9- पात्र इकाइयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0वित्तीय निगम पर होगा। उ0प्र0वित्तीय निगम द्वारा इकाइयों को स्वीकृत किये गये ऋण की वापसी हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2003 (यथा संशोधित) में दिए गए प्राविधानों के अनुसार प्रभावी व्यवस्था की जाएगी तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी।

10- ऋण की वापसी में विलम्ब करने वाली इकाई से वसूला जाने वाला ब्याज (1.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष में जमा कराया जाएगा।

11- यदि उ0प्र0वित्तीय निगम द्वारा किसी किश्त के भुगतान में डिफाल्ट किया जाता है तो उ0प्र0वित्तीय निगम द्वारा शासन को 1.25 प्रतिशत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिमाह साधारण ब्याज की दर से विलम्ब की अवधि मे ब्याज का भुगतान किया जाना होगा।

12- स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आकलन आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा किया जाएगा। उ0प्र0वित्तीय निगम को उपलब्ध कराए गए ऋण के सापेक्ष उ0प्र0वित्तीय निगम द्वारा ऋण वितरण का अनुश्रवण भी आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा किया जाएगा तथा धनराशि के सदुपयोग के संबंध में संतुष्ट होने के उपरान्त ही अगली किश्त का आहरण किया जाएगा।

13- स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च 2019 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

14- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग की अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 6885-उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य कर्ज-01-औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-06-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-30-निवेश/ऋण के नाम डाला जाएगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या-ई-6-234/दस-2020 दिनांक 25-03-2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

संख्या- 09/2020/754(1) /77-6-2020-3(बजट)/16टी.सी.तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
3- प्रबंध निदेशक, यूपीएफसी, कानपुर।
4- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग -6

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8- नियोजन अनुभाग-1/4
9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।